(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० -दो।2001 पुनरीक्षण

गहरू आत्मज राममरोसे साहू
निवासी ग्राम घुरीताल, तहसील सिंगरोली
जिला सीधी (म०प्र०) ------ आवेदक

विरूद्ध

1- रामबिचारे पिता राममरोसे साहू
निवासी ग्राम घुरीताल, तहसील सिंगरोली
जिला सीधी (म०प्र०)

2- मध्य प्रदेश शासन ------ अनावेदकगण

अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 773199-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-4-2001 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं मनमाने आधारों पर होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 281 रकबा 0-800 हे० का आवेदक स्वामी एवं वास्तविक आधिपत्यधारी है यह तथ्य प्रमाणित है तथापि आवेदक को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना अनावेदक-1 के आवेदन-पत्र पर मात्र शासन को पक्षकार बनाकर अपर कलेक्टर ने आदेश दिया था वह शून्यवत् है। ऐसे आदेश को किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। शून्यवत् आदेश शून्यवत् ही रहेगा। अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक की आपत्तियों पर निर्णय न देने में

--- 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 863–एक/2001 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–03–2017	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 27–7–99 के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–8–99 को इत्तलाबी दर्ज की गई है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी तत्पश्चात अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है जबकि उसे मूल आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी। तहसीलदार का आदेश अपर कलेक्टर के आदेश का अनुपालन है। इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील को निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी अधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 24–4–2001 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	